

सं. 804/114/2010-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 नवंबर, 2011

सेवा में,

सभी टीवी चैनल

विषय: अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण - केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का नियम 6(1)(जे)

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई टीवी चैनल ऐसे कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं , जो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं। यह देखा गया है कि प्रसारित कार्यक्रमों में अंधविश्वासों के साथ-साथ तंत्र-मंत्र और जादू-टोने के दायरे में आने वाली कार्यप्रथाओं को भी दर्शाया जाता है। कार्यक्रमों में प्रेत आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित निवासों और स्थानों के बारे में भी दिखाया जाता है। इसका चित्रण इस तरह से किया गया है कि ऐसा प्रतीत हो कि ये अंधविश्वासी मान्यताएँ और प्रथाएँ सच हैं और वास्तविकता पर आधारित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दर्शक अपने उचित विवेक का प्रयोग करें, चैनलों द्वारा कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। ऐसे कार्यक्रमों को चलाते समय उनके वैज्ञानिक आधार का भी ध्यान नहीं रखा जाता । इसलिए, ऐसे कार्यक्रम सीधे-साधे दर्शकों के मन में भ्रम और अंधविश्वास को प्रोत्साहित करते प्रतीत होते हैं।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5, समय-समय पर संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6(1) (जे) के साथ पठित में यह प्रावधान है कि केबल सेवा के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्यक्रम प्रसारित/पुनः प्रसारित नहीं किया जा सकता है जो अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देता है। भारत में टीवी चैनलों की अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति/अनुमोदन की बुनियादी शर्तों/बाध्यताओं के अनुसार , चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करने के लिए बाध्य हैं। .

3. तदनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सभी टीवी चैनलों को उचित सावधानी और परिपक्वता के साथ,

और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करते हुए कार्यक्रमों, विशेष रूप से उन कार्यक्रमों के संबंध में जो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को प्रोत्साहित करते हैं। का प्रसारण करने की सलाह देता है।

हस्ता./-

[के.एस.रेजिमोन]

उप सचिव, सरकार भारत

प्रतिलिपि:

1. एनबीए और आईबीएफ को सभी टीवी चैनलों को आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ।
2. ईएमएमसी को सभी टीवी चैनलों की निगरानी करने और भविष्य में किए जाने वाले उल्लंघनों के बारे में इस मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजने के अनुरोध के साथ।